दिल्ली में सामूहिक आवास समितियां

898. **डा० अबरार अहमद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत सामूहिक आवास समितियों की वर्तमान संख्या कितनी है और उनकी नवीनतम वरीयता संख्या क्या है ;

(ख) इन समितियों के पंजीकरण की तिथि क्या है और उन्हें अभी तक भूमि उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें कब तक भूमि आवंटित कर दिये जाने की आशा है ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इन समितियों को जान-बूझकर भूमि आवंटित नहीं कर रहे हैं; यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ङ) भूमि के लिए ली जा रही वर्तमान दर कितनी है और इन समितियों के पंजीकरण के समय दर कितनी थी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटन का प्रश्न न्यायाधीन है ।

(ङ) भूमि आवंटन के लिए वसूल की जाने वाली दर समय-समय पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिसूचित मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बिहार को सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

900. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री 19 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 416 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोनार और तिलैया परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक उन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) सिंचाई के लिए दामोदर घाटी निगम से कितना-कितना पानी किन-किन राज्यों को दिया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार की दामोदर नदी की सहायक कोनार नदी पर कोनार व्यपवर्तन परियोजना तथा बारकर नदी पर तिलैया बांधार परियोजना पर क्रमशः मार्च, 1984 और मार्च, 1983 में सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल न किए जाने के कारण उनपर विचार अस्थगित करना पड़ा। दो राज्यों के बीच हुए वर्ष 1978 के समझौते के अनुसार, क्रमशः कोनार और तिलैया पर भण्डारण स्थान निर्मुक्त करने के बदले दामोदर नदी पर पंचेट और तेनुघाट जलाशयों तथा बारकार नदी पर मैथुन जलाशय में अतिरिक्त भण्डारण सृजित किए जाने की आवश्यकता है। पंचेट जलाशय में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने में प्राइम कुकिंग कोयले की जलमग्नता शामिल है और कोयला विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन दो परियोजनाओं को अलग से स्वीकृति नहीं दी है इसलिए अन्तर्राज्यीय मतभेद विद्यमान हैं।

(ख) प्रत्येक वर्ष जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी जलाशय नियमन समिति द्वारा दिए गए